रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-23092026-276420
CG-DL-W-23092026-276420

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 31] नई दिल्ली, अगस्त 30—सितम्बर 5, 2026, शनिवार/ भाद्र 8—भाद्र 14, 1948
No. 31] NEW DELHI, AUGUST 30—SEPTEMBER 5, 2026, SATURDAY/BHADRA 8— BHADRA 14, 1948

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

संस्कृति मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2026

सा.का.नि. 159.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए औरभारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण (हिन्दी अनुवादक) भर्ती नियमावली, 1989 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. –** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संस्कृति मंत्रालय, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2026 है।

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम (2) से कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि -** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.- वह व्यक्ति, -**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु, यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पद की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन पद या अचयन पद।**	**सीधे भर्ती के लिए आयु सीमा।**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी।	8* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6(35400-112400/- रु.)	लागू नहीं होता।	30 वर्ष की उम्र से अनधिक। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण 1 :** - आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन की तारीख होगी।

सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	**सीधे भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**
(7)	**(8)**	**(9)**
(क) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी सहित हिन्दी में मास्टर	लागू नहीं होता।	दो वर्ष टिप्पण : केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित

डिग्री; **या** (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी सहित अंग्रेजी में मास्टर डिग्री; **या** (iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी और हिन्दी माध्यम सहित हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री; **या** (iv) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम सहित हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री; **या** (v) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषयों के रूप में अथवा परीक्षा के माध्यम के रूप में दोनों में से किसी एक विषय तथा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में दूसरे विषय के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी सहित हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री; और (ख) हिन्दी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम या भारत सरकार के उपक्रमों सहित केन्द्र या राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय में हिन्दी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1 - अर्हताएं, अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों की दशा में कारणों को लेखबद्ध करते हुए, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पणी 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं, उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।		परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(10)	(11)	(12)	(13)
सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण:** पदधारी का प्रतिनियुक्ति पर जाने या लंबे समय तक बीमार रहने या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या उससे अधिक समय से रिक्त पद को	लागू नहीं होता।	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार के लिए) में निम्नलिखित होंगे : 1. निदेशक, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 में (29200-92300/- रुपए) या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर पद पर अपनी नियुक्ति के पश्चात् छः वर्ष सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं एवं कार्य अनुभव रखते हों।		- अध्यक्ष; 2. अवर सचिव, संस्कृति मंत्रालय - सदस्य; 3. कार्यालय प्रमुख, भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता - सदस्य।	

[फा. सं. 6-4/2023-ए एंड ए]

विनय कुमार तरुण, अवर सचिव

MINISTRY OF CULTURE

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2026

G.S.R. 159.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Anthropological Survey of India (Hindi Translator) Recruitment Rules, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Translation Officer in the Anthropological Survey of India, Ministry of Culture, namely: -

1. **Short title and commencement.–** (1) These rules may be called the Ministry of Culture, Anthropological Survey of India, Junior Translation Officer (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2026.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.–** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.–** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.– No person, -**

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.–** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.–** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Junior Translation Officer.	8 *(2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 6 in the pay matrix (Rs.35400-112400).	Not applicable.	Not exceeding thirty years of age. (Relaxable for the Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**
(7)	**(8)**	**(9)**
(a) (i) Master's degree from a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or (ii) Master's degree from a recognised University in English with Hindi as compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or (iii) Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; or (iv) Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory of elective subject or as the medium of a examination at the degree level; or (v) Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; and (b) recognised diploma or certificate course in translation from Hindi to English and vice versa or two years'	Not applicable.	Two years. **Note:** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.

experience of translation work from Hindi to English and vice versa in the Central Government or State Government office, including Government of India undertakings and union territories. **Note 1:** The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.		

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	**In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(10)	**(11)**	**(12)**	**(13)**
By direct recruitment. **Note :** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government, - (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment to the posts a on regular basis in level – 5 in the pay matrix (Rs.29200-92300) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column (7).	Not applicable.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Director, Anthropological Survey of India - Chairman; 2. Under Secretary, Ministry of Culture – Member; 3. Head of office, Anthropological Survey of India, Kolkata – Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 6-4/2023-A&A]

VINAY KUMAR TARUN, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR Digitally signed by VINOD KUMAR Date: 2026.09.23 15:58:48 +05'30'